

24/3/22

23-3-22

PLG

जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थनापत्र।

~~श्री~~

स्मरण पत्र संदर्भ दि० 05.05.2020, 15.05.2020, 15.06.2020, 27.11.

2020 एवं 05.05.2021, 22.06.2021

सेवा में श्रीमान प्रबन्धक अधिकारी एवं

श्रीमान प्रयत्नान मैनेजर प्रबन्धक प्रोपर्टी एवं सम्बन्धित अधिकारी
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, 30प्र०।

P10-PLG
RTI-20400

24/3/22

विषय : जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 सेशन-6(3) के अंतर्गत निम्न बिन्दुओं पर सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र।

संदर्भित विषय : प्रार्थी द्वारा दिये गयी प्रार्थनापत्र दिनांकित. 28.07.2017, 27.11.2020 व 05.05.2021 के संदर्भ में कम्पलीशन क्रियाशील प्रमाणपत्र जारी करने के सम्बन्ध में।


श्रीमान जी.

निवेदन है कि जय सिंह एडवोकेट पुत्र श्री उदयराम सिंह चै०नं०-13 गली नं०-1 सिविल कोर्ट राजनगर गाजियाबाद जो विधि विहार आवास सोसाइटी मकान नं० सी-9 सैक्टर-पाई प्रथम व द्वितीय विधि विहार सोसाइटी ग्रेटर नोएडा प्लाट एरिया 125 वर्ग गज जिसका नक्शा वाइड लेटर 71-75 दिनांक 08.12.2015 में स्वीकृत हुआ था। जिसका निर्माण 5 वर्ष तक करना था। नवते के अनुसार कम्पलीराम क्रियाशील प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों सहित जिनमें सेक्टर नोएडा इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट आथारिटी के नाम एक एकाउंट पेयी डाफ्ट रूपये 3,000/- दिनांक 19.06.2017 जिसका नंबर 406575 सिंडिकेट बैंक ट्रेड टैक्स भवन गाजियाबाद एवं दूसरा ग्रेटर नोएडा इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट अथारिटी के नाम एक एकाउन्ट पेयी डिमाण्ड डाफ्ट रूपये 2,500/- दिनांक 19.06.2017 जिसका नंबर 406576 सिंडिकेट बैंक ट्रेड टैक्स भवन गाजियाबाद आदि आकिटिक्ट मधु कुमरी रेफरेंस नम्बर नम्बर ऑफ जी.एन.आई.डी.ए. जी.एल.00327 आदि समस्त दस्तावेजों सहित दिनांक 28.07.2017 में जमा कराये है। प्रार्थी को अभी तक कम्पलीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) नहीं मिला है। प्रार्थी सीधा-सादा ग्रेटर नोएडा अथारिटी के नियमों का ज्ञान के अभाव के कारण तथा कोविड-19 कोरोना के महामारी आदि से पीडित होने के कारण अपना कम्पलीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) नहीं ले पाया है। यह प्रार्थना पत्र डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यदि कोई विभागीय आपत्ति है तो उम्का परिपालन प्रार्थी करने को तैयार है। प्रार्थी द्वारा कम्पलीशन प्रमाण पत्र लेने के लिए अनेको चक्कर सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष लगाये हैं परन्तु निराशा के अलावा कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा अनेकों बार लगाने के बाद मायूस होकर यह एक लिखित प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 15.05.2020 में प्रेषित किया गया है जिसमें निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा दिया गये प्रार्थना पत्र कम्पलीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) दिनांक 28.07.2011 को दिया गया है तथा दि० 28.07.2017 को दिये गये कम्पलीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) के अनुपालन ने कम्पलीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) अविलम्ब जारी किये जाने की प्रार्थना की है। यदि कोई आपत्ति है तो लिखित में प्रार्थी को अवगत कराने का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दि० 15.05.2020 के साथ सम्बन्धित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु प्री द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दि० 28.07.2017 एवं 15.05.2020 का कोई जवाब न दिये जाने के कारण प्रार्थी द्वारा एक आर०टी०आई० दिनांक 15:06.2020 तथा दूसरा दिनांक 23.09.2020 में प्रेषित किया जिसका जवाब दि० 23.10.2020 के पत्रांक नियो/आर०टी०आई०/2020/5116/दिनांक 23.10.2020 जो प्रार्थी को पत्र दिनांक 28.09.2020 के संदर्भ में बताया माया कि "उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा चाही गयी सूचना स्पष्ट नहीं है। अतः जबाब देना सम्भव नहीं है।" तथा दूसरा पत्र नियो/आर०टी०आई०/2020/5149/ दिनांक 23.06.2020 जो 24.06.2020 के संदर्भ में बताया गया कि "उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि आपके

जारी अभी तक नहीं दिया है और ना प्रार्थी करने हेतु प्रस्तुत किये हैं किसी का कोई जवाब को कम्पलीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) आज तक जारी किया है। विवश होकर प्रार्थी द्वारा आर0टी0आई0 दिनांक 15.06.2020 तथा 23.0.2020 में प्रस्तुत किया जिसका कोई जवाब नहीं दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि आप प्रार्थी को जान बूझकर प्रार्थी द्वारा दी गयी आर0टी0आई0 का जवाब नहीं देना चाहते हैं और प्रार्थी को दिशा भ्रमित कर तरह तरह से तंग व परेशान कर आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जिस कारण पुनः प्रार्थना पत्र विषय। जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 सेक्शन-6(8) के अंतर्गत निम्न बिन्दुओं पर सूचना दिए जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र जो संदर्भित विषय प्राची द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांकित 28.07.2017 व 16.05.2020 को सन्दर्भ में कम्पलीशन (क्रियाशील प्रमाण पत्र) जारी करने के सम्बन्ध में पुनः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है तथा उपरोक्त संदर्भ में आवश्यक सूचना उपलब्ध फरमाये जाने की कृपा करें जोकि निम्न प्रकार है।

1. दिनांक 20.07.2017 में प्रार्थी द्वारा दिया गया कापलीशन प्रमाण पत्र जो सभी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया है जो आपके यहाँ पत्रावली पर उपलब्ध एवं आन रिकार्ड है, परन्तु कम्पलीशन प्रमाण पत्र आज तक जारी नहीं किये जाने का कोई समुचित आधार लिखित में अवगत नहीं कराया गया जिसे अवगत कराना अति आवश्यक है तथा जारी किये जाने वाले सम्बन्धित अधिकारी का नाम व पता, पद से अवगत करायें।
2. दिनांक 28.07.2017 के परिपालन हेतु प्रार्थी द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र दिनांक 15.06.2020 को विभाग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया गया जोकि विभाग को दि० 23.06.2020, 27.11.2020 एवं 05.05.2021 को प्राप्त हुआ उसके सम्याथ में अभी तक कम्पलीशन प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं करायी वायी है। जिसका समुचित कारण व आधार जिससे प्राधी को होने वाले आर्थिक नुकसान को रोका जा सके से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी विस्तृत रूप में लिखित में उपलब्ध करायें।
3. नवशे के अनुसार कम्पलीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) सक्षम अधिकारी के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों सहित जिनमें वोटर नोएडा इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट अथार्टी के नाम एक एकाउन्ट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट रुपये 3,000/- दिनांक 19.06.2017 जिसका नम्बर 400575 सिंडिकेट बैंक ट्रेड टेक्स भवन गाजियाबाद एवं दूसरा थोटर नोएडाइण्डस्ट्रियल डवलपमेंट अथारिटी के नाम एक एकाउन्ट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट रुपये 2,500/- दिनांक 19.06.2017 जिसका नम्बर 406576 सिंडिकेट बैंक ट्रेड टेक्स भवन गाजियाबाद आदि आर्किटेक्ट मधु कुमारी रेफरेन्स नम्बर आफ जी.एन.आई.डी.ए. जी.एम.00327 आदि समस्त दस्तावेजों सहित दिनांक 28.07.2017 में जमा कराये हैं। प्रार्थी को अभी तक कम्पलीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) नहीं मिला है। प्रार्थी सीधा-सादा थोटर नोएडा अथारिटी के नियमों का मान के अभाव के कारण तथा कोविड-19 कोरोना के महामारी आदि से पीडित होने के कारण अपना कम्पलीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) नहीं ले पाया है। यह प्रार्थना पत्र डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह धनराशि अथारिटी के एकाउंट विभाग का स्वीकृति पत्र ग्रहणपत्र किस तारीख में केश हुए है स्पष्ट अवगत कराये तथा क्रियाशील में क्या रुकावट है।

दिनांक: 22.03.2022

प्रार्थी

जय सिंह एडवोकेट पुत्र श्री उदयराम सिंह
चै०नं०-13 गली नं०-1 सिविल कोर्ट
राजनगर गाजियाबाद
फोन नं० 2211250708

भारतीय डाक विभाग का अधिकार क्षेत्र है। इस डाक के माध्यम से भेजे गए पत्रों का भ्रमण नहीं होता है।

अपरिहार्य
NOT NEGOTIABLE
करने वाले
डाक टिकट
STAGE STAMPS

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO अधिकारी

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY



₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1RUPEE
प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिखें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND

AT THE POST OFFICE AT

नोएडा

अधिकारी

के डाकघर में अदा करें।

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

54F 563461

242
3-3-22
PLG
27.11.
10-PLG
71-20400
24/3/22

संदर्भित विषय : प्रार्थी द्वारा दिये गयी प्रार्थनापत्र दिनांकित.28.07.2017, 27.11.2020 व 05.05.2021 के संदर्भ में कम्पलीशन क्रियाशील प्रमाणपत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

श्रीमान जी.
निवेदन है कि जय सिंह एडवोकेट पुत्र श्री उदयराम सिंह चै0नं0-13 गली नं0-1 सिविल कोर्ट राजनगर गाजियाबाद जो विधि विहार आवास सोसाइटी मकान नं0 सी-9 सैक्टर-पाई प्रथम व द्वितीय विधि विहार सोसाइटी ग्रेटर नोएडा प्लॉट एरिया 125 वर्ग गज जिसका नक्शा वाइड लेटर 71-75 दिनांक 08.12.2015 में स्वीकृत हुआ था। जिसका निर्माण 5 वर्ष तक करना था। नवते के अनुसार कम्पलीराम क्रियाशील प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों सहित जिनमें सेटर नोएडा इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट आथारिटी के नाम एक एकाउंट पेयी ड्राफ्ट रुपये 3,000/- दिनांक 19.06.2017 जिसका नंबर 406575 सिंडिकेट बैंक ट्रेड टैक्स भवन गाजियाबाद एवं दूसरा ग्रेटर नोएडा इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट अथारिटी के नाम एक एकाउंट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट रुपये 2,500/- दिनांक 19.06.2017 जिसका नम्बर 406576 सिंडिकेट बैंक ट्रेड टैक्स भवन गाजियाबाद आदि आकिटिकट मधु कुमरी रेफरेंस नम्बर नम्बर ऑफ जी.एन.आई.डी.ए. जी.एल.00327 आदि समस्त दस्तावेजों सहित दिनांक 28.07.2017 में जमा कराये है। प्रार्थी को अभी तक कम्पलीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) नहीं मिला है। प्रार्थी सीधा-सादा ग्रेटर नोएडा अथारिटी के नियमों का ज्ञान के अभाव के कारण तथा कोविड-19 कोरोना के महामारी आदि से पीडित होने के कारण अपना कम्पलीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) नहीं ले पाया है। यह प्रार्थना पत्र डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यदि कोई विभागीय आपत्ति है तो उम्का परिपालन प्रार्थी करने सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष लगाये हैं परन्तु निराशा के अलावा कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा अनेकों बार लगाने के बाद मायूस होकर यह एक लिखित प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 15.05.2020 में प्रेषित किया गया है जिसमें निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा दिया गये प्रार्थना पत्र कम्पलीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) दिनांक 28.07.2011 को दिया गया है तथा दि0 28.07.2017 को दिये गये कम्पलीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) के अनुपालन ने कम्पलीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) अविलम्ब जारी किये जाने की प्रार्थना की है। यदि कोई आपत्ति है तो लिखित में प्रार्थी को अवगत कराने का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दि0 15.05 2020 के साथ सम्बन्धित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु प्री द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दि0 28.07.2017 एवं 15.05.2020 का कोई जवाब न दिये जाने के कारण प्रार्थी द्वारा एक आर0टी0आई0 दिनांक 15:06.2020 तथा दूसरा दिनांक 23.09.2020 में प्रेषित किया जिसका जवाब दि0 23.10.2020

24/3/22

110-119
रजि. नं. 24/3/2022
पु.ग.

जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थनापत्र।

स्मरण पत्र संदर्भ दि० 05.05.2020, 15.05.2020, 15.06.2020, 27.11.2020 एवं 05.05.2021, 22.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रबन्धक अधिकारी एवं

श्रीमान प्रबन्धक मैनेजर प्रबन्धक प्रोपर्टी एवं सम्बन्धित अधिकारी
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।

विषय : जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 सेशन-6(3) के अंतर्गत निम्न बिन्दुओं पर सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र।

संदर्भित विषय : प्रार्थी द्वारा दिये गयी प्रार्थनापत्र दिनांकित.28.07.2017, 27.11.2020 व 05.05.2021 के संदर्भ में कम्प्लीशन क्रियाशील प्रमाणपत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

श्रीमान जी.

निवेदन है कि जय सिंह एडवोकेट पुत्र श्री उदयराम सिंह चै०नं०-13 गली नं०-1 सिविल कोर्ट राजनगर गाजियाबाद जो विधि विहार आवास सोसाइटी मकान नं० सी-9 सैक्टर-पाई प्रथम व द्वितीय विधि विहार सोसायटी ग्रेटर नोएडा प्लाट एरिया 125 वर्ग गज जिसका नक्शा वाइड लेटर 71-75 दिनांक 08.12.2015 में स्वीकृत हुआ था। जिसका निर्माण 5 वर्ष तक करना था। नवते के अनुसार कम्पलीराम क्रियाशील प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों सहित जिनमें ग्रेटर नोएडा इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट आथारिटी के नाम एक एकाउंट पेयी डाफ्ट रूपये 3,000/- दिनांक 19.06.2017 जिसका नंबर 406575 सिंडिकेट बैंक ट्रेड टैक्स भवन गाजियाबाद एवं दूसरा ग्रेटर नोएडा इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट आथारिटी के नाम एक एकाउन्ट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट रूपये 2,500/- दिनांक 19.06.2017 जिसका नम्बर 406576 सिंडिकेट बैंक ट्रेड टैक्स भवन गाजियाबाद आदि आर्किटेक्ट मधु कुमरी रेफरेंस नम्बर नम्बर ऑफ जी.एन.आई.डी.ए. जी.एल.00327 आदि समस्त दस्तावेजों सहित दिनांक 28.07.2017 में जमा कराये हैं। प्रार्थी को अभी तक कम्प्लीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) नहीं मिला है। प्रार्थी सीधा-सादा ग्रेटर नोएडा आथारिटी के नियमों का ज्ञान के अभाव के कारण तथा कोविड-19 कोरोना के महामारी आदि से पीडित होने के कारण अपना कम्प्लीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) नहीं ले पाया है। यह प्रार्थना पत्र डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यदि कोई विभागीय आपत्ति है तो उम्का परिपालन प्रार्थी करने को तैयार है। प्रार्थी द्वारा कम्प्लीशन प्रमाण पत्र लेने के लिए अनेको चक्कर सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष लगाये हैं परन्तु निराशा के अलावा कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा अनेकों बार लगाने के बाद मायूस होकर यह एक लिखित प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 15.05.2020 में प्रेषित किया गया है जिसमें निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा दिया गये प्रार्थना पत्र कम्प्लीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) दिनांक 28.07.2011 को दिया गया है तथा दि० 28.07.2017 को दिये गये कम्प्लीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) के अनुपालन ने कम्प्लीशन (क्रियाशील प्रमाणपत्र) अविलम्ब जारी किये जाने की प्रार्थना की है। यदि कोई आपत्ति है तो लिखित में प्रार्थी को अवगत कराने का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दि० 15.05.2020 के साथ सम्बन्धित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु प्री द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दि० 28.07.2017 एवं 15.05.2020 का कोई जवाब न दिये जाने के कारण प्रार्थी द्वारा एक आर०टी०आई० दिनांक 15.06.2020 तथा दूसरा दिनांक 23.09.2020 में प्रेषित किया जिसका जवाब दि० 23.10.2020 के पत्रांक नियो/आर०टी०आई०/2020/5116/दिनांक 23.10.2020 जो प्रार्थी को पत्र दिनांक 28.09.2020 के संदर्भ में बताया गया कि "उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा चाही गयी सूचना स्पष्ट नहीं है। अतः जबाब देना सम्भव नहीं है।" तथा दूसरा पत्र नियो०/आर०टी०आई०/202025149/ दिनांक 23.06.2020 जो 24.06.2020 के संदर्भ में बताया गया कि "उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि आपके द्वारा चाही गयी सूचना स्पष्ट नहीं है।" प्रार्थी द्वारा जवाब देना सम्भव नहीं है।